रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (DN.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906
No. 84] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

सं. आर. एस. 1/3/84-एस.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 28 जून, 1984 आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 23 जुलाई, 1984

को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

28 जून, 1984

ज़ैल सिंह,

राष्ट्रपति

सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1984

No. RS. 1|3|84-L.—The following Order by the President, dated the 28th June, 1984, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 23rd July, 1984, at New Delhi.

The 28th June, 1984.

ZAIL SINGH,
President."

SUDARSHAN AGARWAL, Secy. General

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984